न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

शिविर ग्राम पंचायत आंवा दिनांक 08.10.2021

प्रकरण संख्या दावा 91 / 21

बउनवान

1. विमल श्रृंगी पुत्र मनोज श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान हाल निवासी गणेषनगर रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–

वादी की ओर से एडवोकेट घनश्याम शर्मा
प्रतिवादी पेरोकार राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादी एवं अन्य खातेदारों के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा तहसील कनवास जिला कोटा की जमबांदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 786 पुराना 729 की खसरा नबंर 147 की रकबा 0.53 है0, 206 की रकबा 1.21 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.74 हैक्टयर आराजी स्थित है, जिसमें मुझ वादी का 1 / 12 हिस्सा निहित है।

यह कि मेरे पिता मनोज कुमार के दो पुत्र कपिल व विमल तथा एक पुत्री चंचल है तथा मेरे पिता मनोज की मृत्यु हमारे बाल्यकाल में ही हो चूकी थी और उस समय हम नाबालिग थे, मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मेरे पिता का फौती इन्तकाल खुला उस समय मेरा नाम विमल पुत्र मनोज के सीन पर विकास पुत्र मनोज दर्ज हो गया है जबकि मेरे शिक्षा विभाग के दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि दस्तावेजों में नाम विमल श्रृंगी पुत्र मनोज श्रृंगी अंकित है ।

यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मेरा नाम विकास पुत्री मनोज दर्ज होने तथा मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम विमल श्रृंगी पुत्र मनोज कुमार श्रृंगी दर्ज होने के कारण मुझे बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का ॠण नहीं मिल पा रहा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम विकास पुत्री मनोज के स्थान पर विमल पुत्र मनोज दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट कर किया गया, प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। पत्रावली आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पंचायत आंवा में प्रस्तुत हुयी, पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा तहसील कनवास जिला कोटा की जमबांदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 786 पुराना 729 की खसरा नबंर 147 की रकबा 0.53 है0, 206 की रकबा 1.21 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.74 हैक्टयर आराजी में वादी का नाम विकास पुत्री मनोज जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विकास पुत्री मनोज के स्थान पर विमल पुत्र मनोज दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में चंचल श्रृंगी पुत्री मनोज जाति ब्राह्मण निवासी आंवा , कपिल श्रृंगी पुत्र मनोज जाति ब्राह्मण निवासी आंवा का शपथ–पत्र पेश किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार, साक्ष्यों का अवलोकन किया गया , जिसके आधार पर हम वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा तहसील कनवास जिला कोटा की जमबांदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 786 पुराना 729 की खसरा नबंर 147 की रकबा 0.53 है0, 206 की रकबा 1.21 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.74 हैक्टयर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विकास पुत्री मनोज के स्थान पर विमल पुत्र मनोज जाति ब्राह्मण निवासी आंवा हिस्सा 1/12 खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पंचायत आंवा में मजमे आम सुनाया गया।

उपरोक्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
राजेश डागा (आर.ए.एस.)
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

शिविर ग्राम पंचायत आंवा दिनांक 08.10.2021

प्रकरण संख्या दावा 91 / 21

बउनवान

1. विमल श्रृंगी पुत्र मनोज श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान हांल निवासी गणेशनगर रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–

वादी की ओर से एडवोकेट घनश्याम शर्मा
प्रतिवादी पेरोकार राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 91 / 21 तारीख फैसला 08.10.2021

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट घनश्याम शर्मा मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नबंर 01 **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है, अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा तहसील कनवास जिला कोटा की जमबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 786 पुराना 729 की खसरा नबंर 147 की रकबा 0.53 है0, 206 की रकबा 1.21 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.74 हैक्टयर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विकास पुत्री मनोज के स्थान पर विमल पुत्र मनोज जाति ब्राह्मण निवासी आंवा हिस्सा 1 / 12 खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल –दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **08 माह अक्टूबर सन् 2021** को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा '''	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सतीश कुमार (आर०ए०एस०)
कनवास, जिला कोटा